Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

भवरलाल ..... बनाम ..... ओलाराम

किस्म मुकदमा :– राजस्व वाद, नम्बर :– 563/ सन् 2016

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हक हुक्म की तामील में जारी हुए
1/11/16	वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने एक राजस्व वाद पत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88,92 एस.आर.टी. आर0टी0एक्ट के तहत् पेश किया हैं। प्रार्थना पत्र धारा 80(2) सीपीसी का भी पेश किया। जो शामिल मिसल हो। हस्ब प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण संख्या 1 से 14 के विरूद्ध वाद पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती हैं। राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जावें। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मनस तलब किये जावें। पत्रावली आयन्दा दिनांक 07/02/17 को पेश हो। SDO	2197 9/12/16
13/1/17	वकील वादी उप०। वकील वादी ने पत्रावली तलबी का प्रा० पत्र पेश करते हैं पत्रावली मात पेश है। वकील वादी ने प्रा० पत्र पेश किया कि उक्त प्रकरण के वादीगण व प्रतिवादीगण ने राजीनामे की बात चल रही है। प्रति० ने वादीगण की भूमि उक्त बात दर्ज करवाने में मौखिक सहमति दी है इसलिये वर्तमान परिस्थितियों में वादीगण अपना मय वाद पत्रावली पड़ने पर पेश करने का अधिकार सुरक्षित रखकर प्रा० पत्र पेश कर रहे हैं, वादीगण का अधिकार मय वाद पेश करने का सुरक्षित रखते हुए यह वाद जरिये विड्रोल के खारिज कराने का आदेश करावें। प्रा० पत्र स्वीकार हो। प्रस्तुत प्रा० पत्र का अवलोकन किया गया। वकील वादीगण के सुना गया। लिहाजा वादीगण का अधिकार मय वाद पेश करने का सुरक्षित रखते हुए वादीगण का वाद जरिये विड्रोल खारिज किया जाता है। पत्रावली कैपल थुमार बोर्ड नम्बर में की जावे। बाद तामील जाब्ता दाखिल दफ्तर होवे। मजकूर सुना है। SDO	हस्ताक्षर वादीगण/प्रार्थी के वकील श्री मोहनलाल जोशी अधिवक्ता जनपदाल बार जिला जैतारण 13/1/17

Scanned by CamScanner